

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी

(पीठासीन अधिकारी कैम्प कॉर्ट) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र **मरमी**

प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021

प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021

:- आदेश :-

प्र0सं0 :- **191**/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का **मरमी**....., भू अ0नि0 वृत्त **र.न.ट.**..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा **मरमी**..... तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्बन्ध **2022**..... के खाता संख्या **539, 540, 541, 548** में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	मरमी	539	सतुसिरे पुत्र कालूजिरे	सत्यनारायण पुत्र कालूजिरे
	-क-	540	सतुसिरे पुत्र कालूजिरे	सत्यनारायण पुत्र कालूजिरे
	-क-	541	सतुसिरे पुत्र कालूजिरे	सत्यनारायण पुत्र कालूजिरे
	-क-	548	सतुसिरे पुत्र कालूजिरे	सत्यनारायण पुत्र कालूजिरे



सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(191)2021 दिनांक :- **12/10/21**

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री **सत्यनारायण पुत्र कालूजिरे** को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

12/10/21

